

कार्यवाही

होमसाइड कॉलेज रोड़ स्थित रोल्स मेनिया का खाद्य पंजीयन निलंबित

एक ही फ्रीजर में रखे थे वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ



नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने चलाये जा रहे अभियान के तहत खाद्य पंजीयन अधिकारियों द्वारा आज सोमवार को किये गये आकस्मिक

निरीक्षण में अली मार्केट होमसाइड कॉलेज रोड़ शास्त्री ब्रिज स्थित रोल्स मेनिया का कई अनियमितताएं पाये जाने पर खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र

दुबे के अनुसार निरीक्षण के दौरान रोल्स मेनिया में वेज तथा नॉन-वेज खाद्य पदार्थों का संग्रहण एक ही फ्रीजर में पाया गया था। इस खाद्य प्रतिष्ठान में एक्सपायर्ड सांस एवं स्क्वाश आदि का खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाना भी पाया गया है।

खाद्य कारोबार पर लगी पूर्णतः रोक
खाद्य सुरक्षा एवं पंजीयन

पंजीयन कहीं का, कारोबार कहीं और

इसके अतिरिक्त खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा खाद्य पंजीयन में खाद्य कारोबार का संचालन मदनमहल में होना बताकर अन्यत्र स्थान शास्त्री ब्रिज के पास, होमसाइड कॉलेज रोड़ पर किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत खाद्य पंजीयन निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दिव्यांग यात्रियों की बेहतर सेवा हेतु रेल मंडल संकल्पित

जबलपुर, नवभारत। शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने के लिए जबलपुर रेल मंडल लगातार प्रयासरत है। मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा के नेतृत्व में, इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के मध्य कुल 1541 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए गए हैं। केवल फरवरी माह में ही मंडल द्वारा 157 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड बनाए गए हैं। इन रियायत कार्डों के माध्यम से दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ-साथ, नियमानुसार परिवारक के साथ यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जबलपुर रेल मंडल का यह प्रयास सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ अधिक से अधिक योग्य यात्रियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है सभी दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात कार्ड जारी किया जाता है।

क्षमता से दोगुना बैठाई जा रही सवारी, हादसे का डर



जबलपुर, नवभारत। नगर के भीतर दौड़ रहे सवारी ऑटो और ई रिक्शों में ज़रूरत से सवारियों को ढोया जा रहा है। बता दे कि यातायात पुलिस के द्वारा की गई मनाई के बावजूद ऑटो चालक अपने वाहनो में क्षमता से अधिक

सवारी बैठा रहे है। रविवार को नगर के उच्च न्यायालय चौक से पुल क्रमांक दो की ओर जाते हुए ऑटो में पांच की बजाए 9 सवारी बैठी हुई थी। यही नहीं छोटे छोटे बच्चों को सामान रखने वाली जगह पर दूस् दूस् कर बैठाया गया था।

यात्रियों की जान से हर रोज़ हो रहा खिलवाड़

बता दे कि यातायात नियमों को दरकिनार करते हुए ऑटो चालक सवारियों की जान हथेली पर रखकर ढो रहे है। खासबात यह है कि चौराहों पर खड़ी पुलिस भी इनपर कार्यवाही करने से बच रही है। मालूम हो कि शहरी क्षेत्र में लगभग दो सैकड़ से अधिक ऑटो प्रतिदिन नगर के अन्य इलाकों के मार्गों पर फरफटा भरते हैं। इसके चलते इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं। इन वाहनों में हालत ये हैं कि 5 की जगह 10 से 15 सवारियां बैठाई जा रही हैं। यातायात व्यवस्था की मनाई के बावजूद ऑटो वाहन आवागमन कर रहे हैं। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब क्षमता से अधिक ऑटो में सवारियां भरने के साथ उसमें खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान भी ओवर लोड कर लिया जाता है।

रांझी संभाग में एक दुकान सील, कटे नल कनेक्शन

बकायादारों के खिलाफ जारी है राजस्व अमले की कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर रांझी संभाग क्रमांक 10 ने राजस्व वसूली अभियान में तेजी लाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से संपत्तिकर और अन्य शुल्कों का भुगतान न करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग ने तालाबंदी और कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की गयी। अपर आयुक्त अंजु सिंह ने बताया कि नगर निगम की टीम ने विभिन्न वार्डों में घूमकर बकायादारों को चेतावनी दी और मौके पर डॉ. भीमवार अंबेडकर वार्ड में बलवंत राज भसीन पर 2,05,046 रुपये बकाया होने के



कारण उनकी दुकान में तालाबंदी की कार्रवाई की गई। गोकलपुर वार्ड में टैक्स जमा न करने पर एक नल कनेक्शन काटा गया। कई वार्डों में बड़े बकायादारों के घरों/प्रतिष्ठानों पर 3 दिवसीय नोटिस पोस्टर चस्पा किए गए हैं, यदि तीन दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहीद भगत सिंह वार्ड में गया प्रसाद साहू पर

19,748, अब्दुल रज्जाक पर 31,319 रुपये, गोकलपुर वार्ड में बुद्ध सिंह कुर्मी पर 24,896 रुपये, चंद्रशेखर आजाद वार्ड में त्रिवेणी बाई पर 48,957, जीवन लाल पर 40,792 रुपये, एवं लाला लाजपत राय वार्ड में राकेश यादव पर 63,476 एवं राम चन्द्र यादव पर 54,158 बकाया होने पर कुर्की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया।

सुसाइड मामले में साथी कर्मियों ने घेरा रांझी थाना, प्रदर्शन

बोले, काम के दबाव में 12 कर्मचारी की जान गई, कार्रवाई हो वरना होगा आंदोलन

यूनियन संगठनों ने दर्ज कराया विरोध चार्जमैन की आत्महत्या का मामला

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत वाहन निर्माणी (व्हीएफजे) में रविवार शाम 57 वर्षीय चार्जमैन द्वारा काम के तनाव में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लोईज फेडरेशन से संबंधित समस्त यूनियनों ने रांझी थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के संगठन मंत्री अर्नब दास गुप्ता, उत्तम विश्वास का कहना है पूर्व



में काम के दबाव के चलते विभिन्न निर्माणिया जैसे आयुध निर्माणी भंडारा में लगभग 10 कर्मचारी, आयुध निर्माणी खमरिया में दो कर्मचारी की जान गई है। सभी यूनियन ने यह निर्णय लिया है इस दुर्घटना की व्यापक एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच में जो भी जिम्मेदार अधिकारी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए अन्यथा

उग्र आंदोलन होगी आक्रोशित कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम जापान सौंपा है। विदित हो कि न्यू कचनपुर आधारताल निवासी सैमसन मार्टिन का वाहन निर्माणी में चार्जमैन के पद पर पदस्थ था और पिछले एक साल से सिविल मेंटेनेंस का काम देख रहा था। रविवार को निर्माणी में अवकाश होने के चलते उन्हें आवश्यक कार्य

के लिए इयूटी पर बुलाया गया था। व्हीकल फैक्ट्री के अंदर चार्ज मैन सैमसन मार्टिन ने सीएमएस सेंक्टर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर थी। मृतक के पास एक सुसाइड

नोट मिला था जिसमें लिखा था वर्क आर्डर का काम नहीं कर पा रहा हूँ जिसके चलते परेशान हूँ तनाव में हूँ इस मामले को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है।

जबरन सौंपा था नया दायित्व

मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति फ़िटर थ जबरन उन्हें नया दायित्व सौंपा गया था। उन्हें बिल बनाना नहीं आता था। एक बिल में आठ रुपए का अंतर था जिसके चलते अधिकारी फाइल में हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। बिल बनाना नहीं आने की बात अधिकारियों से कई बार की गई थी लेकिन जबरन काम करवाया जा रहा था जिसके चलते पति तनाव में थे।
इन एआईडीईएफ नेताओं ने सैकड़ों कर्मियों के साथ किया प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से पुष्पेंद्र सिंह, सुकेश दुबे, शरद अलवर सुरेश खन्ना, शिवेंद्र राजक विकल फैक्ट्री से अमरेश सिंह, निशर सिंह, जीसीएफ फैक्ट्री से रोहित यादव उत्तम विश्वास अमित चंदेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर से राकेश दुबे मनोज साहू, राजेश पटेल, पीके तिवारी नरेंद्र विश्वकर्मा 506 से विकास यादव भारत बैरिया संतोष यादव के साथ सैकड़ों यूनियन के कार्यकर्ता शामिल थे।



राजस्व अमले के साथ अब मैदान में इंजीनियरों को उतारा

नवभारत, जबलपुर। शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने अब एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर के साथ-साथ जलकर की भी शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि शहर की स्वच्छता, सड़कों के रखरखाव और निर्बाध जल आपूर्ति के लिए राजस्व का समय पर आना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित

किया कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और बड़े अपार्टमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि निगम का लक्ष्य केवल कर वसूली नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे शहर के विकास कार्यों में फंड की कमी न आए। निगमायुक्त ने उन संस्थानों और बड़े उपभोक्ताओं को कड़ा संदेश दिया है जो बार-बार सूचना देने के बाद भी जल शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। निर्देशों के अनुसार लंबे समय से बकाया होने पर नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की जाएगी। गंभीर मामलों में नियमों के तहत कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम द्वारा उद्योगों से संपत्ति कर वसूली का विरोध

उद्योगपतियों में आक्रोश, सड़कों पर उतरने की चेतावनी

नवभारत, जबलपुर। महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सिविक सेंटर स्थित भवन में उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें जबलपुर नगर निगम द्वारा आधारताल एवं रिछाई औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों पर संपत्तिकर वसूली के प्रयासों का तीव्र विरोध किया गया।

चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता ने मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 का हवाला देते हुए कहा कि अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों पर संपत्तिकर लागू नहीं होता। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2023 में



ऐसे कर को समाप्त किया जा चुका है तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी औद्योगिक इकाइयों पर दोहरा कर नहीं लगाने की घोषणा कर चुके हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि निगम प्रशासन ने वसूली जारी रखी तो उद्योगपति सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे, उद्योग बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर

‘जबलपुर बंद’ का आह्वान करेंगे। बैठक का संचालन अखिल मिश्र तथा आभार प्रदर्शन हेमराज अग्रवाल ने किया। इस दौरान शंकर नागदेव, युवराज जैन गढ़ावाल, समीर पाल, सुधीर यादव, सुप्रीत आनंद, घनश्याम रोडके, कमल चड्ढा, गौरव अग्रवाल, रोहित जयसवाल, प्रफुल्ल अग्रवाल, ऋषभ देव सिंह,

मनीष गुप्ता, रुज्जन ताम्रकार, केवल सवालानी, सज्जाद इकराम अली, अशोक कुमार मुलानी, पंकज खंडेलवाल, चंद्रमोहन परवाना, अनमोल वाधवा, अभिषेक तलवार, अर्पित सेठी, सतीश ओसवाल, अनूप अग्रवाल, अभिषेक जैन, मनीष केशरी, परदीप कोटवानी, हरीश परवाना, विनोद चावला, सन्नी बजाज, संतोष सलवानी, अजित चेलानी, राजेंद्र, विजय परवानी, अतुल करीमी, भीषम वासवानी, राकेश मिर्दानिया, कैलाश परवानी, जीतेन्द्र शर्मा, आदित्य जैन, प्रवीण यादव, राम देवानी, सचिन सिंघई, अतुल जैसवाल, टीकम दास दुसिया, अबराम अखर सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे।

एआईबीडी पास अधिवक्ताओं के नामों को ही किया जाएगा शामिल

जबलपुर, नवभारत। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन-2026 हेतु अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 01 अप्रैल बुधवार को किया जाएगा। अधिवक्ता जिन्होंने 24 मार्च को सांयकाल 4:00 बजे तक एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से अपना वैरिफिकेशन डिक्लरेशन आवेदन बार कार्डसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वरिफिकेशन रूल्स 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है एवं ऑल इंडिया बार एजामिनेशन परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके नाम निर्वाचन में मताधिकार हेतु चुने गए स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस संबंध में सूचना मध्यप्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों को भी प्रेषित की गई है कि वो उन

अधिवक्ताओं से वैरिफिकेशन डिक्लरेशन फार्म भरवाएं, जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा चुनाव-2026 के संबंध में अधिवक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय-समय पर विभिन्न सूचनाएं, अधिसूचनाएं एवं दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोजेक्शन मतदाता सूची, आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी तथा अन्य आवश्यक चुनाव संबंधी निर्देश परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।



नहीं चेत रहे जिम्मेदार, फिर से कचरे के ढेर में लगी आग

नवभारत, जबलपुर। कठौदा प्लांट होने के बावजूद बीच शहर में कचरा डंप किया जा रहा हो तो इसे जिम्मेदारों की भर्त्ताही ही कहेंगे। नियमों की माने तो बीच शहर में कचरा डंप करना बेहद गलत है और इसका खामियाजा संक्रामक बीमारियों के रूप में उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है जिनके घरों के पास ये कचरा डंप किया जा रहा हो। शास्त्री ब्रिज के नीचे एक मैदान में एक बार फिर से सोमवार को सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वहां मौजूद कचरे के ढेर में आग लगी हुई दिखी। वायरल तस्वीर को लेकर एक ब्यार फिर से सवाल खड़े हुए कि क्या नगर निगम के जिम्मेदार यहाँ कचरे के ढेर में एक बड़ा अग्निकांड चाह रहे हैं। जागरूक लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि शास्त्री ब्रिज के नीचे अधोषित कचरे के डंपिंग स्टेशन में कचरा न फेंका जाए और जितना कचरा अभी वहां मौजूद

है उसे तत्परता दिखाकर जल्द हटया जाए। बताया जा रहा है पिछले एक दो साल से शास्त्री ब्रिज के नीचे कचरा डंप किया जा रहा है।

कुछ इस तरह लगती है आग

प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि कचरा बीनने वाले शास्त्री ब्रिज के नीचे जमा कचरे के ढेर के पास आते हैं और अपने काम का कचरा बीनकर ले जाते हैं। इसी बीच वे मैदान में बीड़ी भी पीते हैं और जलती हुई बीड़ी मैदान में ही फेंककर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद इसी बीड़ी की चिंगारी से कचरे के ढेर में आग लग जाती है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार...

इस संबंध में स्वच्छता अधिकारी अंकिता बर्मन ने कहा है कि जल्द ही शास्त्री ब्रिज के नीचे के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन धरातल में ये हालात कब ठीक होंगे ये कोई नहीं बता पा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली

आवास परियोजना लर्नेड कोर्ट रिसीवर के माध्यम से

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

द्वारा निष्पादित

ई-नीलामी के माध्यम से मालसूची की थोक बिक्री

एस्पायर सिलिकॉन सिटी

एस्पायर लेज़र पार्क

एस्पायर लेज़र वैली

एस्पायर सेंचुरियन पार्क

एस्पायर सिलिकॉन सिटी

एस्पायर लेज़र पार्क

एस्पायर लेज़र वैली

एस्पायर सेंचुरियन पार्क

एस्पायर सिलिकॉन सिटी

फेज़-IV, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश

» मालसूची आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4 बी.एच. के. और विशाल डुप्लेक्स अपार्टमेंट

» स्पेक्ट्रम मॉल, नोएडा के पास और निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर-50 (एक्वा लाइन) एवं सेक्टर-76 मेट्रो हैं तथा आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 25 मिनट

एस्पायर लेज़र वैली

टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश

» मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच. के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स

» डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 35 मिनट

एस्पायर लेज़र पार्क

टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश

» मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच. के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स

» डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 30 मिनट

एस्पायर सेंचुरियन पार्क

टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश

» मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच. के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स

» डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 30 मिनट

ई.एम.डी. जमा करने की

अंतिम तिथि: 27.03.2026

ई-नीलामी 28.03.2026 को

आयोजित की जाएगी

ई.एम.डी. राशि 9.70 करोड़ रु.

से 20.90 करोड़ रु. तक

6 पैकेज जिनका मूल्य 485 करोड़ रु.

से 1,045 करोड़ रु. तक है

कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें: www.nbccindia.in | www.receiveramrapali.in

या 📞 : 9772907414

कृपया ई-नीलामी दस्तावेज के लिए QR आर स्कैन करें:

●●●●●

+

●●●●●

⊕

+

⊕

●●●●●

+

●●●●●